

अध्याय ३

लेन – देनों की लेखापरीक्षा

अध्याय 3

3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा

राज्य की सरकारी कंपनियों के लेन-देनों की नमूना-जांच से प्रकट महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में शामिल किए गए हैं।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.1 परिहार्य व्यय

साईड एग्रीमेंट के क्रियान्वयन में देरी के कारण कोयले की दुबारा बुकिंग में ₹ 3.07 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपने पानीपत स्थित पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) और यमुनानगर स्थित दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट (डी.सी.आर.टी.पी.पी.) को प्रतिवर्ष 50.90 लाख¹ टन कोयले की आपूर्ति के लिए सैट्रूल कोलफील्डज लिमिटेड (सी.सी.एल.), रांची के साथ जुलाई 2009 में एक फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट (एफ.एस.ए.) पर हस्ताक्षर किया। एग्रीमेंट में अन्य बातों के साथ प्रावधान था कि कंपनी अपने स्वयं के पावर प्लांट के लिए अभिप्रेत कोयले को कंपनी के पूर्णरूप से स्वामित्व वाले अन्य पावर प्लांट को, रेलवे को अतिरिक्त परिवहन लागत का भुगतान करके दुबारा बुकिंग के माध्यम से हस्तांतरण कर सकती थी तथा इस उद्देश्य के लिए एक साईड एग्रीमेंट किया जाना अपेक्षित था।

डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर के यूनिट - II और I क्रमशः 25 सितंबर 2011 तथा 31 मार्च 2012 को ट्रिप हो गए तथा बंद हो गए और उनके लंबे समय तक बंद रहने की संभावना थी (यूनिट - II के लिए लगभग छः मास तथा यूनिट - I के लिए चार मास)। इस अवधि के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर पर कोयले की कोई आवश्यकता न होने के कारण कंपनी ने रेलवे प्राधिकारियों के माध्यम से कोयला रेक्स डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर से राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट (आर.जी.टी.पी.पी.) खेदड़, हिसार को विपथित करवा दिए।

कंपनी ने साईड एग्रीमेंट किए बिना कोयला रेक्स रेलवे के माध्यम से विपथित करवा लिए और अप्रैल से जुलाई 2012 के दौरान कोयले की दुबारा बुकिंग पर ₹ 14.47 करोड़ का व्यय कर दिया। बाद में, कंपनी ने कोलियरी हेड से आर.जी.टी.पी.पी., हिसार को कोयले की सीधी आपूर्ति के लिए सितंबर 2012 में साईड एग्रीमेंट किया।

इस प्रकार, यदि कंपनी ने साईड एग्रीमेंट जनवरी 2012 में किया होता तो यह आर.जी.टी.पी.पी., हिसार पर कोयला सीधा सी.सी.एल. से मार्च 2012 तक प्राप्त कर सकती थी और अप्रैल से जुलाई 2012 के दौरान रेलवे को ₹ 3.07 करोड़² के री-बुकिंग प्रभार/व्यय³ का भुगतान करने से बच सकती थी।

¹ पी.टी.पी.एस. 22.90 लाख टन और डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर 28 लाख टन।

² ₹ 3.07 करोड़ = (₹ 2,194.42 - ₹ 2,100.57) x 3,27,387.90 टन कोयला।

³ डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर से आर.जी.टी.पी.पी. हिसार को री-बुकिंग लागत सहित औसत दुलाई प्रभार घटा कोलियरी से आर.जी.टी.पी.पी. हिसार को औसत दुलाई प्रभार।

एग्जिट काफ़ेंस (सितंबर 2013) के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि मरम्मत के बाद यूनिट - II को जुलाई 2012 तक दुबारा चालू किए जाने की संभावना थी इस लिए बाद में कोयले की आवश्यकता को ध्यान में रखकर साईड एग्रीमेंट नहीं किया गया था। तथापि, हमारा विचार है कि यूनिट्स की लंबे समय तक (कार्य आदेश की तिथि से यूनिट - II लगभग छः महीने और यूनिट - I चार महीने तक) बंद रहने की संभावना थी और इस अवधि के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर में कोयले की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए कंपनी को, सी.सी.एल. के साथ हस्ताक्षर किए गए एम.ओ.यू. के अनुसार, कोयले की दुबारा बुकिंग पर अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए साईड एग्रीमेंट करना चाहिए था।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (मई 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.2 अतिरिक्त व्यय

निम्नतम दरों की उपेक्षा करके दुबारा टेंडर के लिए हाई पावर परचेज कमेटी के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 6.36 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) ने ₹ 59.08 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ टर्नकी आधार पर 33 के.वी. के 23 नए सब-स्टेशनों (एस.एस.जे.) के निर्माण के लिए पांच टेंडर इनक्वायरीज (क्र.सं. 126 से 130) आमंत्रित की (जून 2010)। 23 फर्मों ने टेंडर में भाग लिया तथा निम्नतम बिडर की स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 3.1

क्र.सं.	टेंडर इनक्वायरी संख्या	आपरेशन सर्कारी के नाम	एस.एस.जे की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	एल-1 फर्म का नाम	एल-1 की दर (₹ करोड़ में)	अनुमानित लागत से एल-1 की कम लागत (प्रतिशत में)
1.	126	सिरसा	5	13.33	मैसर्ज सैंचुरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	11.86	11.03
2.	127	सिरसा	5	13.07	मैसर्ज एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	12.06	7.73
3.	128	भिवानी हिसार	3 2	12.24	मैसर्ज सैंचुरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पावर लिमिटेड	10.25	16.26
4.	129	गुडगांव नारनौल	2 1	8.09	मैसर्ज एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	7.71	4.70
5.	130	हिसार	5	12.35	मैसर्ज एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	11.44	7.37

पावर यूटिलिटी लेवल हाई पावर परचेज कमेटी (एच.पी.पी.सी.) ने मोल-भाव के लिए एल-I बिडर को आमंत्रित किया (27 अक्टूबर 2010) और काउंटर ऑफर दिए। एल-I बिडर ने टेंडर इनक्वायरी नं. 126 तथा 128 के लिए क्रमशः ₹ 9.98 करोड़ तथा ₹ 8.98 करोड़ के काउंटर ऑफर स्वीकार किए जो कि अनुमानित लागत से 25 प्रतिशत कम थे और कंपनी ने 10 एस.एस.जे. के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए। मोल-भाव के बाद बाकी

तीन टेंडर इनक्वायरीज़ के संबंध में एल - I बिडर (मैसर्ज एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 3.2

क्र.सं.	टेंडर इनक्वायरी संख्या	सर्कल के नाम	एस.एसज़ की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	न्यूनतम स्वीकार्य दर (₹ करोड़ में)	न्यूनतम स्वीकार्य दर तथा अनुमानित लागत के बीच अंतर (प्रतिशत में)
1.	127	सिरसा	5	13.07	10.51	19.58
2.	129	गुडगांव	2	8.09	6.63	18.05
		नारनौल	1			
3.	130	हिसार	5	12.35	10.03	18.78
योग			13	33.51	27.17	

चूंकि मैसर्ज एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एल - I ने उपरोक्त तीन टेंडरिंग इन्क्वायरीज़ के लिए 25 प्रतिशत से नीचे मूल्य घटाने की एच.पी.पी.सी. की काउंटर आफर स्वीकार नहीं की थी, कंपनी ने, 21 एस.एसज़ के निर्माण के लिए संख्या 136 से 138 तक तीन टेंडर इनक्वायरीज (छोड़ी हुई टेंडर इन्क्वायरीज संख्या 127, 129 और 130 की 13 एस.एसज़ सहित) को दुबारा आमंत्रित (फरवरी 2011) किया। कार्य एल - I बिडर (मैसर्ज शाम इंडस पावर सौल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली) को ₹ 54.85 करोड़ पर सौंप दिया गया जो कि पहले छोड़े गए 13 एस.एसज की लागत के लिए आनुपातिक रूप से ₹ 33.53 करोड़⁴ परिकलित किया गया। दोबारा टेंडर करने की लागत ₹ 33.53 करोड़, मूलरूप से प्राप्त टेंडर की लागत ₹ 27.17 करोड़ से ₹ 6.36 करोड़ अधिक है। जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ। इस प्रकार अनुमानित लागत से 25 प्रतिशत कम मूल्य प्राप्त करने के लिए टेंडर दोबारा आमंत्रित करने का निर्णय व्यर्थ सिद्ध हुआ।

एगिजट काफ्रेंस (सितंबर 2013) के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि पांच टेंडर इन्क्वायरीज में से दो में (टेंडर इन्क्वायरीज संख्या, 126 और 128) में एल - I फर्म ने मोल - भाव के दौरान अपने मूल्य अनुमानित लागत से 25 प्रतिशत कम कर दिए थे और इस प्रकार कंपनी ने शेष तीन टेंडर इन्क्वायरीज सं. 127, 129 और 130 के संबंध में भी री - टेंडरिंग के दौरान निम्नतर दरों का पूर्वानुमान किया था। तथापि, हमारा विचार है कि चूंकि रीटेंडरिंग के बाद निम्नतर दरों प्राप्त करने की कोई निश्चितता नहीं थी क्योंकि खुली टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से पहले ही प्रतियोगी दरें प्राप्त की जा चुकी थी, रिटेंडरिंग अनावश्यक थी।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (मई 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

⁴ यह आंकड़े रिटेंडरिंग के अनुसार (माल लागत: स्थापन प्रभार, लाइन्ज और सिविल कार्यों की लागत सहित) एक एस.एस. की लागत के आधार पर वर्क आउट किए गए थे।

3.3 कम बीमा के कारण हानि

ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशाप, फरीदाबाद में पड़ी कंबस्टिबल इंवेंटरी के कम बीमा के कारण ₹ 38.12 लाख की हानि।

कंपनी ने एक घोषणा नीति⁵ के अंतर्गत, अपने भंडारों और वर्कशापस में कंबस्टिबल इंवेंटरी का आग और चोरी के विरुद्ध बीमा करवाया (फरवरी 2004) जिसमें न केवल वर्तमान कंबस्टिबल इंवेंटरी, बल्कि पॉलिसी अवधि के दौरान कंबस्टिबल इंवेंटरी में वृद्धि को भी आवृत्त किया गया था। इसके लिए कंपनी द्वारा बीमाकर्ता को जोखिम में स्टॉक के अधिकतम मूल्य की औसत पर आधारित मासिक घोषणाएं भेजा जाना अपेक्षित था। औसत इंवेंटरी, तकनीकी अनुभाग द्वारा, स्टोर्ज और ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशाप्स (टी.आर.डब्ल्यूज) से प्राप्त जानकारी के अनुसार संकलित मासिक विवरणियों के आधार पर ली जानी थी।

मार्च 24, 2011 को टी.आर.डब्ल्यू, फरीदाबाद में आग की एक घटना हुई और ₹ 9.43 करोड़ की कुल सामग्री में से ₹ 65.34 लाख मूल्य की सामग्री नष्ट हो गई (23 मार्च 2011)। ₹ 15.80 लाख के नष्ट सामग्री के बचाव मूल्य को ध्यान में रखते हुए, बीमा कंपनी ने ₹ 11.42 लाख के दावे को स्वीकार किया तथा कंपनी को भुगतान कर दिया (मार्च 2012)। यद्यपि 2009-10 के दौरान इंवेंटरी का अधिकतम मूल्य ₹ 10.59 करोड़ था (दिसंबर 2009) फिर भी कंपनी ने केवल तीन मदों अर्थात् ट्रांसफार्मर तेल, क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरस तथा मरम्मत किए ट्रांसफार्मरस के लिए ₹ 2.12 करोड़ मूल्य की बीमा पालिसी प्राप्त की (जून 2010) जबकि टी.आर.डब्ल्यू, फरीदाबाद में ₹ 9.02 करोड़ के मूल्य की सामग्री पड़ी थी (मई 2010)। इस प्रकार कम बीमा के कारण कंपनी ने ₹ 38.12 लाख की हानि उठाई। हमने नोटिस किया कि कंपनी केवल ₹ 0.15 लाख के अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके मालसूची के कुल मूल्य (₹ 10.59 करोड़) का बीमा कवर प्राप्त कर सकती थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (सितंबर 2013) अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि कम बीमा के कारण कंपनी ने प्रीमियम पर पर्याप्त राशि बचा ली थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी टी.आर.डब्ल्यू, फरीदाबाद में इंवेंटरी के समग्र मूल्य के लिए बीमा पालिसी लेने के लिए केवल ₹ 0.15 लाख का अतिरिक्त बीमा प्रीमियम देकर ₹ 38.12 लाख बचा सकती थी।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (जून 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

⁵ घोषणा नीति के अंतर्गत, माह के प्रत्येक दिन के औसत जोखिम मूल्य अथवा माह के दौरान उच्चतम जोखिम मूल्य पर आधारित समायोजनों पर प्रीमियम का रिफंड, बीमा की गई राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत तक, स्वीकार्य होगा। पुनः यदि स्टॉक का अधिकतम मूल्य बीमा की गई राशि के मूल्य से बढ़ जाता है तो कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, परन्तु दावे की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.4 बिजली प्रभारों के कारण बकायों का संचय

बकाया देय अप्रैल 2008 में ₹ 1,406.32 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 में ₹ 2,532.36 करोड़ हो गए। ₹ 721.56 करोड़ की अग्रिम खपत जमा जनवरी 2014 को उपभोक्ताओं के विरुद्ध अभी प्रस्तुत नहीं की गई थी। कनेक्टिड चूककर्ताओं की संख्या 2008-09 में कुल उपभोक्ताओं के 17.57 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 18.39 प्रतिशत हो गई थी। चोरी के मामलों में कंपनी ने ₹ 11.78 करोड़ के विरुद्ध ₹ 6.17 करोड़ के जुर्माने की वसूली की।

कंपनी के मुख्य कार्यालय तथा रैंडम संख्या तालिकाओं का प्रयोग करके रिप्लेसमेंट के बिना 'प्रोबेबिलीटी परपोर्नल टू साईज' के सैंपलिंग तरीके के आधार पर चयनित तीन आपरेशन सर्कलज⁶ में नौ⁷ आपरेशन उप-डिवीजन (यूनिट्स) में कंपनी के बिजली प्रभारों से संबंधित बकाया देयों की संविक्षा ने, वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान, वर्ष के प्रारंभ में लंबित बकायों, वर्ष के दौरान बिल किए गए राजस्व और वसूल की गई राशि और वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष के निम्नलिखित विवरण दर्शाएः

तालिका 3.3

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	1406.32	1543.52	1720.25	1909.25	2191.51
2	वर्ष के दौरान बिल किया गया राजस्व	2205.52	2473.06	3087.70	3615.04	4492.14
3	वसूली के लिए कुल देय राशि (1+2)	3611.84	4016.58	4807.95	5524.29	6683.65
4	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	2062.67	2296.33	2898.70	3332.78	4151.29
5	वर्ष के दौरान वसूल न किए गए समायोजित सरचार्ज की राशि	5.65	-	-	-	-
6	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष[3-(4+5)]	1543.52	1720.25	1909.25	2191.51	2532.36

बकाया शेष राशि अप्रैल 2008 में ₹ 1,406.32 करोड़ से मार्च 2013 में ₹ 2,532.36 करोड़ तक बढ़ गई, फलस्वरूप ऋणियों में ₹ 1,126.04 करोड़ (80.07 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई।

जल्द वसूली के लिए एक संपोषित अभियान आरंभ करके राजस्व संग्रहण के दक्ष तरीके लागू करने की अत्यंत आवश्यकता है।

एडवासं कंजम्प्शन डिपोजिट की रिवीजन न करना (एसी.डी.)

इलैक्ट्रोसिटी सप्लाई एक्ट, 2003 (अधिनियम) के प्रावधानों और एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी सक्षम बनाने वाले विनियमों के अनुसार, डिस्कोमज विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं के चार/दो⁸ महीने के विद्युत खपत प्रभारों के बराबर एसी.डी. वसूल कर सकते हैं। डिस्कोमज समय पर बिजली

⁶ करनाल, झज्जर और जींद।

⁷ तरावड़ी, निसिंग, असंध, सब/अर्बन झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, एस./यू.एस./डी. जींद, जुलाना और गढ़ी।

⁸ द्विमासिक विलिंग श्रेणी-डी.एस., मासिक विलिंग श्रेणी-एन.डी.एस., औद्योगिक, ए.पी. और सरकारी।

⁹ चार मास जहां दो मास की विलिंग हो तथा दो मास जहां मासिक विलिंग हो।

शुल्कों के भुगतान न होने के मामले में बिजली कनेक्शन बंद करने और बकाया देयों को एसीडी. राशि से समायोजित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

कंपनी ने एसीडी. के संशोधन के लिए सेल्ज सर्कुलर जारी किया (7 जुलाई 2006) जिसमें एसीडी. की दो समीक्षाओं के लिए भी प्रावधान किया गया, पहला 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 तक 12 मास की खपत के आधार पर और दूसरा घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं की अगली समीक्षा चार वर्षों के बाद और अन्य वर्गों के लिए तीन वर्षों के बाद।

उपर्युक्त समीक्षाएं नहीं की गई तथा अतिरिक्त एसीडी. मार्च 2012 तक न तो निर्धारित की गई और न ही उपभोक्ताओं से मांगी गई। इसकी मुख्यालय द्वारा कोई मानीटरिंग भी नहीं की गई। इसके बजाए कंपनी मार्च 2012 में अतिरिक्त एसीडी. को छः किश्तों अर्थात् छः और 12 मास में क्रमशः मासिक और द्विमासिक बिलिंग में वसूली करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पास गई। राज्य सरकार ने अतिरिक्त एसीडी. की 12 किश्तों में वसूली की अनुमति दे दी (12 जुलाई 2012) तथा निर्देश जारी कर दिए (अगस्त 2012)। परंतु इस संबंध में कोई प्रगति नहीं थी (जनवरी 2014)। जनवरी 2014 को ₹ 721.56 करोड़ मूल्य की एसीडी. मांग उपभोक्ताओं के विरुद्ध अभी तक प्रस्तुत की जानी शेष थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2013) कि एसीडी. उपभोक्ताओं की एनडीएस. श्रेणी से वसूल कर ली गई थी और डीएस. श्रेणी के उपभोक्ताओं से एसीडी. वसूल करने के निर्देश जारी किए गए थे। तथ्य रह जाता है कि जनवरी 2014 को ₹ 721.56 करोड़ की राशि की एसीडी. अभी तक वसूल की जानी शेष थी।

कनैकिटड चूककर्ताओं से वसूलनीय देय

यह एच.ई.आर.सी. ने डिस्मोभज को स्थाई चूककर्ताओं के बिजली कनेक्शन एक मास के भीतर डिस्कनैक्ट करने के निर्देश दिए थे (मार्च 2012)। उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने सेल्ज इंस्ट्रॉक्शन जारी किए (12 जून 2012) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया था कि चूककर्ता उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन फेजवार पद्धति में डिस्कनैक्ट किए जाने चाहिए। कंपनी ने डिस्कनेक्शन के लिए सर्कल वाईज मासिक लक्ष्य निश्चित किए तथा 2012-13 के दौरान कुल 5.15 लाख डिस्कनेक्शन किए जाने थे। इसके विरुद्ध, केवल 3.94 लाख बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए थे (मार्च 2013)। हमने देखा कि 3.94 लाख चूककर्ताओं के डिस्कनेक्शन करने के बावजूद, कनैकिटड चूककर्ताओं की संख्या मार्च 2012 में 5.08 लाख के विरुद्ध मार्च 2013 में 5.02 लाख रही।

2008-13 पांच वर्षों की अवधि के दौरान राजस्व के बकायों की श्रेणीवार स्थिति परिशिष्ट-10 में दर्शाई गई है। परिशिष्ट के अवलोकन ने दर्शाया कि ₹ 1,514.55 करोड़ राशि के बकाया देयों वाले 5,01,502 कनैकिटड चूककर्ता थे (मार्च 2013)। चूककर्ताओं की संख्या 2008-09 में कुल उपभोक्ताओं के 17.57 प्रतिशत से 2012-13 में 18.39 प्रतिशत तक बढ़ गई थी (मार्च 2013)। पंचायत तथा अन्य सरकारी विभागों को छोड़कर मार्च 2013 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान सभी श्रेणियों में कनैकिटड चूककर्ताओं से बकाया देय बढ़ गए थे।

प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2013) कि यद्यपि वे उपभोक्ताओं से विरोध का सामना कर रहे थे फिर भी पुलिस तथा जिला प्रशासन की सहायता लेकर अस्थाई डिस्कनेक्शन आदेश/स्थाई डिस्कनेक्शन आदेश (टी.डी.सी.ओज/पी.डी.सी.ओज) लागू किए जा रहे थे। तथापि, तथ्य रहता है कि बकायों की राशि के साथ कनैकिटड चूककर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी।

स्थाई रूप से डिस्कनेक्टेड चूककर्ताओं से वसूलनीय देय

कंपनी के सेल्ज मैनुअल के अनुसार, यदि डिस्कनेक्शन की तिथि से तीन महीनों की समाप्ति के बाद उपभोक्ता से वसूलनीय देय जारी रहते हैं तो एसीडी. की राशि बकाया की राशि के प्रति समायोजित की जानी चाहिए और शेष राशि, यदि कोई हो, तो उपभोक्ता के नाम से किसी अन्य कनेक्शन से समायोजित करनी चाहिए। यदि देय राशि की वसूली की कोई संभावना न हो तो हरियाणा सरकार बिजली उपक्रम (देय वसूली) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी, कार्यकारी अभियंता (आपरेशन) द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि राजस्व के बकायों के रूप में राशि वसूल करने के डिमांड नोटिस जारी किए जाने चाहिए और अधिनियम की धारा - 6 के अंतर्गत वसूली प्रमाण - पत्र तहसीलदार को संबोधित किए जाने चाहिए।

31 मार्च 2013 को स्थाई रूप से डिस्कनेक्टेड चूककर्ताओं से कुल बकाया राशि ₹ 803.33 करोड़ थी। नौ आपरेशन उप-डिवीजनों के रिकार्ड्स की एक नमूना - जांच ने दर्शाया कि 30 नवंबर 2012 को ₹ 118.79 करोड़ की वसूलनीय देय राशि वाले स्थाई रूप से डिस्कनेक्टेड चूककर्ता 39,644 थे जिनमें से कंपनी ने ₹ 2.10 लाख की एसीडी. समायोजित की थी तथा शेष मामलों में एसीडी. का समायोजन अभी तक नहीं किया गया था (मार्च 2013)। मात्र 29 मामले¹⁰ (0.07 प्रतिशत) भूमि राजस्व प्राधिकारियों को भूमि राजस्व के बकायों के रूप में वसूली के लिए भेजे गए थे।

प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2013) कि स्थाई रूप से डिस्कनेक्टेड चूककर्ताओं के विरुद्ध सिविल मुकदमा दायर करके राशि वसूल की जा रही है। लेकिन तथ्य रहता है कि कंपनी ने एक निर्धारित समय अवधि के बाद चूककर्ता के डिस्कनेक्शन के संबंध में कोडल प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया तथा इससे बकायों का संचय हुआ।

चोरी के मामलों में देय राशियों की वसूली

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अनुसार बिजली की चोरी एक दण्डनीय अपराध है। बिजली की चोरी के पता लगने पर डिस्कोमज़ बिजली आपूर्ति बंद करने की प्रक्रिया में डिस्कनेक्शन तथा राशि जमा करवाने के लिए उपभोक्ता को जारी किए गए नोटिस के समय से चौबीस घण्टे के अंदर पुलिस को शिकायत दर्ज करवाते हैं। यदि, उपभोक्ता कंपाऊँडिंग की राशि 72 घण्टों के भीतर जमा नहीं करवाता तो उसके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जानी चाहिए और यदि पुलिस शिकायत रजिस्टर न करें तो कंपनी को प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से उपयुक्त कोर्ट में सीधे केस फाईल करना चाहिए।

हमने देखा कि 2008 - 13 के दौरान, चयनित इकाइयों में 30 नवंबर 2012 तक 8,944 चोरी के मामले पता लगाए गए और ₹ 11.78 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। इसमें से, केवल ₹ 6.17 करोड़ (52.33 प्रतिशत) कंपनी द्वारा वसूल किया गया। 7,274 मामलों में, कंपनी ने पुलिस प्राधिकारियों के पास एफ.आई.आर. दर्ज करवाई तथा केवल एक मामले में एफ.आई.आर. रजिस्टर की गई। शेष 7,273 मामलों में, एफ.आई.आर. न दर्ज कराने के साथ यह तथ्य भी जुड़ गया कि उपयुक्त कोर्ट में सीधा केस फाईल करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई परिणामतः चोरी के मामलों में ₹ 5.61 करोड़ वसूल नहीं किए गए।

¹⁰ जींद आपरेशन सर्कल के जुलाना सब-डिवीजन के 6 मामले और झज्जर आपरेशन सर्कल के बेरी सब-डिवीजन के 23 मामले।

एगिट काफ़ेंस के दैरान (सितंबर 2013), अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि चूककर्ताओं के टी.डी.सी.ओज लागू करके, बिजली की चोरी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर तथा उपभोक्ताओं से ए.सी.डी. की वसूली के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है। तथापि, तथ्य रहता है कि ₹ 5.61 करोड़ की राशि अभी भी वसूल की जानी बाकी थी और ऐसे चूककर्ताओं की बिजली आपूर्ति बंद नहीं की गई थी।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (जुलाई 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कोमज)

3.5 बिजली देयों की माफी

₹ 1,050.10 करोड़ की माफी के विरुद्ध, राज्य सरकार ने केवल ₹ 532.05 करोड़ डिस्कोमज को सबसिडी के रूप में निर्मुक्त किए। दो चयनित आपरेशन सर्कलज में ₹ 32.74 करोड़ की देय राशि वाले 7,081 घरेलू उपभोक्ताओं ने न तो स्कीम का विकल्प लिया था और न ही डिस्कोमज ने कोडल प्रावधानों के अंतर्गत उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की थी। उपभोक्ताओं, जिन्होंने स्कीम में शामिल होने के बाद भुगतान करना बंद कर दिया था, की देय राशि ₹ 11.37 करोड़ (जून 2005) से बढ़कर ₹ 77.36 करोड़ (दिसंबर 2012) हो गई थी।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कोमज) हैं जो हरियाणा में विभिन्न बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करती हैं।

चार परिचालन परिमिलों¹¹ (प्रत्येक डिस्कोम से दो) के बीस परिचालन उप-मंडलों¹² को 'आकार के अनुपातिक संभाव्यता' के आधार पर, रेंडम तालिका प्रयोग करते हुए चुना गया। हमारे लेखापरीक्षा परिणामों की अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सकार द्वारा धारा 62 के अंतर्गत एच.आर.सी. द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को कोई सबसिडी प्रदान करना चाहती है तो सबसिडी के अनुदान द्वारा प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा, उसका जैसा निर्देश हो उसी तरीके से, अग्रिम में किया जाना अपेक्षित है बशर्ते यदि भुगतान धारा के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाता तो राज्य सरकार का ऐसा कोई निर्देश प्रभावी नहीं होगा।

बिजली अधिनियम 2003 की धारा 65, राज्य सरकार को उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिए डिस्कोम्ज को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है बशर्ते सरकार द्वारा डिस्कोमज को बराबर की क्षतिपूर्ति की जाए। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के बकायों के समायोजन के लिए स्कीम अनुमोदित की (जून 2005)। तदनुसार, डिस्कोमज ने

¹¹ जींद और सोनीपत का यू.एच.बी.वी.एन.एल. और हिसार तथा भिवानी का डी.एच.बी.वी.एन.एल।

¹² जींद (सब - अर्बन - II, गढ़ी, जुलाना और पिल्लूखेड़ा) (ii) भिवानी (सब - अर्बन, भादरा, जूर्डी और सिवानी) (iii) हिसार (सातरोड़, नारनौद, हांसी एस.यू., टोहाना, भूना और मुंदाल) (iv) सोनीपत (गाडल टॉउन, कुंडली, भटगांव, गोहाना एस.यू., गन्नौर, फरमाना)।

वेवर स्कीम 2005 के संबंध में एक सरकुलर जारी कर दिया (जून 2005)। इसमें ऐसे उपभोक्ताओं के लिए देयों की माफी का प्रावधान था जो 17 जून 2005 से प्रभावी अगले 20 महीनों के लिए अपने वर्तमान बिजली बिलों का नियमित भुगतान करेंगे और 16 जून 2005 को इन उपभोक्ताओं के सचित बकाया फ्रीज हो जाएगे। माफी 'डीम्ड वेवर' के रूप में थी और कुल समायोजन 20 मास की समाप्ति पर किया जाना था। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को मूल राशि वहन करनी थी तथा सरचार्ज डिस्कोम्ज द्वारा वहन किया जाना था। स्कीम 31 जनवरी 2008 तक प्रभावी रही। पुनः डिस्कोम्ज ने उपरोक्त स्कीम को जनवरी 2009 के दौरान केवल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू किया जिन्होंने स्कीम के लिए पहले विकल्प दिया था परंतु भुगतान में दुबारा चूक की और इस प्रकार स्कीम का लाभ नहीं उठा पाए थे। स्कीम राज्य सरकार के वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना बढ़ाई गई थी।

डिस्कोम्ज ने राज्य सरकार से सबसिडी की किसी व्यवस्था के बिना छूटे हुए उपभोक्ताओं को एक और अवसर देने के लिए वेवर स्कीम को पुनः प्रारंभ किया (जुलाई 2012)। स्कीम 1 अगस्त 2012 से 31 मार्च 2013 तक लागू रही थी।

देयों की अनुचित माफी

- देयों की माफी और राज्य सरकार से प्राप्त सबसिडी के विवरण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 3.4

(₹ करोड़ में)

स्कीम का नाम	कंपनी का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	माफ की गई राशि (ई.डी. सहित)	प्राप्त सबसिडी	डिस्कोम्ज द्वारा वहन की गई राशि
वेवर स्कीम 2005 (जून 2005 से जनवरी 2008)	उ.ह.बि.वि.नि.लि.	3.43	575.96	328.99	240.95
	द.ह.बि.वि.नि.लि.	2.77	408.08	203.06	201.20
	योग (क)	6.20	984.04	532.05	442.15
वेवर स्कीम (केवल डिस्कोम्ज द्वारा जनवरी 2009 के दौरान आपरेशनल)	उ.ह.बि.वि.नि.लि.	0.05	13.86	-	13.86
	द.ह.बि.वि.नि.लि.	0.01	1.90	-	1.90
	योग (ख)	0.06	15.76		15.76
वेवर स्कीम (डिस्कोम्ज द्वारा अगस्त 2012 से मार्च 2013 के दौरान आपरेशनल)	उ.ह.बि.वि.नि.लि.	0.04	38.47	0	38.47
	द.ह.बि.वि.नि.लि.	0.02	11.83	0	11.83
	योग (ग)	0.06	50.30		50.30
कुल योग (क + ख + ग)		6.32	1050.10	532.05	508.21

हमने देखा (सितंबर 2013) कि उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वयन में डिस्कोम्ज द्वारा ₹ 1,050.10 करोड़ के वेवर के विरुद्ध, राज्य सरकार ने केवल ₹ 532.05 करोड़ सबसिडी के रूप में जारी किए थे। परिणामस्वरूप, ₹ 508.21 करोड़ (मूल ₹ 24.45 करोड़ और सरचार्ज ₹ 483.76 करोड़) का वित्तीय बोझ डिस्कोम्ज द्वारा वहन किया गया तथा विद्युत शुल्क के तौर पर ₹ 9.84 करोड़ (₹ 999.80 करोड़ की राशि की माफी में शामिल) न तो उपभोक्ताओं से वसूल किए गए और न ही राज्य सरकार को जमा किए गए। राज्य सरकार से सबसिडी की प्राप्ति के बिना देयों की माफी, चूककर्ताओं से बिजली देयों की वसूली करने में डिस्कोम्ज की विफलता की सूचक हैं, इससे पहले ही हानि में चल रहे डिस्कोम्ज पर अनुचित भार पड़ा।

ii. स्कीम के प्रारंभ में (16 जून 2005), ₹ 1,781.68 करोड़ की देय राशि वाले 13.87 लाख चूककर्ता उपभोक्ता थे। स्कीम प्रारंभ करते समय, डिस्कोम्ज ने उन उपभोक्ताओं के विरुद्ध किसी दंडात्मक कार्रवाई की योजना नहीं बनाई थी जो स्कीम बीच में ही छोड़ दें तथा अधिकाधिक भागेदारी के लिए कोई नीति तैयार नहीं की थी। हमने देखा (मार्च 2013) कि केवल 6.32 लाख (45.56 प्रतिशत) उपभोक्ताओं ने स्कीम का पूरी तरह लाभ उठाया और 3.02 लाख (21.77 प्रतिशत) उपभोक्ताओं ने स्कीम का विकल्प देने के बाद इसे छोड़ दिया। पुनः 4.53 लाख उपभोक्ताओं ने स्कीम का विकल्प बिल्कुल नहीं लिया था।

बिजली देयों के लिए बस्तुली प्रक्रिया

iii. डिस्कोम्ज के विभिन्न अधिकारियों के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में 'सेल्ज मैनुअल' तथा 'रेगुलेशन' (निर्देश संख्या 7.3) में प्रावधान है कि यदि एक उपभोक्ता समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करने में विफल रहता है तो संबंधित सब-डिवीजन के कमर्शियल असिस्टेंट (सी.ए.) द्वारा 15 दिनों की नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद टेंपरेरी डिस्कनेक्शन आर्डर (टी.डी.सी.ओ.) और टी.डी.सी.ओ. से 30 दिनों की समाप्ति के बाद परमानेंट डिस्कनेक्शन (पी.डी.सी.ओ.) आर्डर जारी किया जाना चाहिए। जूनियर इंजीनियर (फील्ड) द्वारा एक सप्ताह के भीतर सी.ए. को टी.डी.सी.ओ., पी.डी.सी.ओ. की रिटर्न (अनुपालन रिपोर्ट) सुनिश्चित करनी चाहिए और सब-डिवीजनल आफिसर (एस.डी.ओ.) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित अधिकारियों को सौंपै गए कर्तव्य उचित रूप से पूरे किए जाते हैं। किसी भी मामले में, बकायों का संचय उपभोक्ता के 'खपत - जमानत' (दो बिल चक्रों के बराबर) से अधिक नहीं होना चाहिए।

कोडल प्रावधानों का लागू न करना

iv हमने देखा (मार्च 2013) कि दो चयनित आपरेशन सर्कलों¹³ में ₹ 32.74 करोड़ की देय राशि वाले 7,081 घरेलू उपभोक्ताओं (जून 2005) ने न तो स्कीम का विकल्प लिया और न ही डिस्कोम्ज ने कोडल प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जैसा कि ऊपर संदर्भित है। परिणामस्वरूप, उनकी देय की राशि ₹ 200.84 करोड़ तक बढ़ गई थी (नवंबर/दिसंबर 2012)। 4,773 कनैकिटड चूककर्ताओं, जिनकी देय की राशि (जून 2005) ₹ 11.37 करोड़ थी, ने स्कीम में शामिल होने के बाद भुगतान करना बंद कर दिया तथा स्कीम को बीच में ही छोड़ दिया। तथापि, इन उपभोक्ताओं¹⁴ की देय राशि ₹ 77.36 करोड़ तक बढ़ गई थी (नवंबर/दिसंबर 2012)।

हमने आगे देखा कि चार¹⁵ चयनित आपरेशन सर्कलज़ में, 1,369 कनैकिटड चूककर्ता उपभोक्ताओं, जिनके ₹ 2.94 करोड़ (जून 2005) छोड़ दिए गए थे, फिर से ₹ 12.36 करोड़ (नवंबर/दिसंबर 2012/मार्च 2013) के चूककर्ता¹⁶ बन गए थे। जून 2005 से मार्च 2013 तक उनके बकाया देय ₹ 9.42 करोड़ तक बढ़ गए थे।

¹³ भिवानी तथा हिसार।

¹⁴ प्रत्येक मामले में ₹ 50,000 से अधिक चूक राशि वाले उपभोक्ता।

¹⁵ हिसार, भिवानी, जीद तथा सोनीपत।

¹⁶ प्रत्येक मामले में ₹ 50,000 से अधिक की चूक राशि वाले उपभोक्ता।

पुनः, चार चयनित आपरेशन सर्कल्ज में 14,002 घरेलू आपूर्ति (डी.एस) चूककर्ता उपभोक्ता¹⁷ थे (नवंबर - दिसंबर 2012 / मार्च 2013) परंतु डिस्कोम्ज ने केवल 1,055 चूककर्ता उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन डिस्कनैक्ट किए थे और 12,947 चूककर्ता उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन अभी डिस्कनैक्ट किए जाने शेष थे (मई 2013)।

इसी प्रकार, 589 चूककर्ता कृषि उपभोक्ता¹⁸ (ए.पी.) थे (नवंबर - दिसंबर 2012 / मार्च 2013) और इनमें से, केवल 236 चूककर्ता कृषि उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन स्थाई रूप से डिस्कनैक्ट किए गए थे और 353 चूककर्ता ए.पी. उपभोक्ताओं के कनेक्शन अभी डिस्कनैक्ट किए जाने शेष थे।

अधीक्षक अभियंता (एस.ई.), आपरेशन सर्कल भिवानी ने बताया (मार्च 2013) कि डी.एस. और ए.पी. उपभोक्ताओं के ये सभी बिजली कनेक्शन क्रमशः 30 अप्रैल 2013 और 30 जून 2013 तक डिस्कनैक्ट कर दिए जाएंगे अथवा उनके विरुद्ध बकाया राशि वसूल की जाएगी। एस.ई., आपरेशन सर्कल सोनीपत ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। आगे का परिणाम प्रतीक्षित था (सितंबर 2013)।

देखी गई अन्य कानिया, जिनके कारण बकायों का संचय हुआ

v. हमने देखा कि चार आपरेशन सर्कल्ज में, चूककर्ता उपभोक्ताओं के विवरण, जैसे कि उपभोक्ता का नाम, पता, कनैकिटड लोड और लगातार चूक की तिथि उपभोक्ता लेजरों में दर्ज नहीं थे। पुनः, इन उपभोक्ताओं के रिकार्ड में चूककर्ताओं के टी.डी.सी.ओ./पी.डी.सी.ओ. लागू करने की तिथियों का भी उल्लेख नहीं था। परिणामतः अवरुद्ध बकाया राशि (16 जून 2005) के मूल तथा सरचार्ज के विभाजन की परिशुद्धता सत्यापित नहीं की जा सकी।

एगिट काफ्रेंस के दौरान (सितंबर 2013), अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि स्कीम चूककर्ताओं से बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रारंभ की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वेवर स्कीम वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना बढ़ा दी गई थी। पुनः, डिस्कोमज ने उन उपभोक्ताओं, जिन्होंने स्कीम बीच में ही छोड़ दी, के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (जुलाई 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड

3.6 सर्विस टैक्स की अवसूली

सर्विस टैक्स को परिवहन लागत की बजाए प्रशासनिक लागत में शामिल करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार से ₹ 49.18 लाख की राशि की सबसिडी का कम दावा हुआ।

कंपनी 'राजस्थान राज्य खान तथा खनिज लिमिटेड' से जिप्सम प्राप्त करती है और राज्य में कृषकों को अपने विक्रय केंद्रों के माध्यम से जिप्सम बेचती है। कंपनी द्वारा परिकलित लागत के आधार पर, जिप्सम की बिक्री दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। कंपनी क्रय लागत, पैकिंग लागत, परिवहन लागत, स्थापना लागत, अनलोडिंग / हैंडलिंग प्रभार, डीलर के मार्जिन,

¹⁷ प्रत्येक मामले में ₹ 1,00,000 से अधिक चूक राशि वाले डी.एस. उपभोक्ता।

¹⁸ प्रत्येक मामले में ₹ 50,000 से अधिक चूक राशि वाले कृषि उपभोक्ता।

बीमा लागत, ब्याज लागत और अपने स्वयं के लाभ मार्जिन को ध्यान में रखने के बाद जिप्सम की लागत, परिकलित करती है। चूंकि जिप्सम कृषकों को सन्तुष्टाइज़ दरों पर बेची जाती है, सामग्री की 50 प्रतिशत लागत और 100 प्रतिशत परिवहन लागत, ₹ 1,500 प्रति एम.टी. की अधिकतम सीमा तक, सबसिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। राज्य सरकार ने 2006-07 (1 अप्रैल 2006), 2010-11 (12 मई 2010) तथा 2011-12 (29 अप्रैल 2011) में जिप्सम का मूल्य क्रमशः ₹ 1,800, ₹ 2,200 और ₹ 2,400 प्रति एम.टी. निर्धारित किया था।

माल के परिवहन से संबंधित सेवाओं के मूल्य पर 1 जनवरी 2005 से सर्विस टैक्स भुगतान योग्य बन गया था। सर्विस टैक्स जमा करने का उत्तरदायित्व परिवहन शुल्क का भुगतान करने वाली एटी पर होता है। कंपनी ने जनवरी 2005 से मार्च 2011 के दौरान परिवहन पर ₹ 98.36 लाख के सर्विस टैक्स का भुगतान किया लेकिन जिप्सम की लागत की गणना करते समय उसे शामिल नहीं किया। चूंकि परिवहन शुल्क पर भुगतान किया गया सर्विस टैक्स भी परिवहन लागत का एक भाग है, कंपनी को 2006-07 से 2010-11 के दौरान राज्य सरकार से जिप्सम की विक्रय दरें निर्धारित करवाते समय इसे परिवहन लागत में शामिल करना चाहिए था और सारी परिवहन लागत (सर्विस टैक्स सहित) का दावा राज्य सरकार से सबसिडी के रूप में करना चाहिए था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया (सितंबर 2013) कि जनवरी 2005 से मार्च 2011 के दौरान प्रशासनिक लागत में सर्विस टैक्स शामिल किया गया था। यह लेखापरीक्षा के बाद को बल देता है कि सर्विस टैक्स परिवहन लागत में शामिल नहीं किया गया था। यदि कंपनी स्वयं ही सर्विस टैक्स परिवहन लागत में शामिल कर देती तो इसे ₹ 49.18 लाख की राशि की 50 प्रतिशत सबसिडी, जो इसे सर्विस टैक्स को प्रशासनिक लागत में शामिल करके प्राप्त हुई थी, इसकी बजाय ₹ 98.36 लाख की राशि की 100 प्रतिशत सबसिडी राज्य सरकार से प्राप्त होती।

इस प्रकार, सर्विस टैक्स को परिवहन लागत की बजाय प्रशासनिक लागत में शामिल करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार से ₹ 49.18 लाख की राशि की सबसिडी का कम दावा किया गया।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (जून 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

3.7 अनियमित व्यय

पद की उपलब्धता के बिना सीनियर मैनेजर (स्पोर्ट्स) की तैनाती से उसके वेतन तथा भत्तों पर ₹ 33.25 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

‘हरियाणा ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइज़िज’ ने ‘हरियाणा राज्य मूलभूत संरचना तथा उद्योग विकास निगम’ (कंपनी) में एक पृथक खेल संवर्ग के लिए 14 पद संस्थाकृत किए (अगस्त 2001) था और राज्य सरकार ने खेल संवर्ग के लिए सेवा नियमों का एक पृथक सैट अर्थात् ‘सर्विस बाइ-लॉज’ अनुमोदित किया था (अप्रैल 2010)। इन नियमों ने वरिष्ठ प्रबंधक

(खेलकूद) के पद के धारक के लिए निम्न आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की थी:

1. स्नातक
2. आयु 35 वर्ष से अधिक न हो
3. एशियन गेम्स या सीनियर एशियन चैम्पियनशिप में मैडल विजेता या अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में कम से कम दो बार भागीदारी।

स्पोर्ट्स अथॉरिटी आफ इंडिया (एस.ए.आई.) में कार्यरत एक बाक्सिंग कोच को अप्रैल 2008 से डेपुटेशन आधार पर एक साल के लिए सीनियर मैनेजर (खेलकूद) के रूप में बालीबाल टीम तथा टेनिस खिलाड़ियों के कार्यों की देखभाल के लिए और साथ ही बालीबाल टीम के मैनेजर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया। 31 मार्च 2013 तक वार्षिक आधार पर डेपुटेशन की अवधि को बढ़ाया गया। कंपनी ने उसे वेतन तथा अन्य भत्तों के रूप में 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि के लिए ₹ 33.25 लाख का भुगतान किया।

हमने देखा (जून 2012) कि कंपनी की केवल दो ही स्पोर्ट्स टीमज थी अर्थात् बालीबाल और लॉन टेनिस और कंपनी में कोई भी बाक्सिंग टीम नहीं थी। इसके बावजूद, एक बाक्सिंग कोच को सीनियर मैनेजर (खेलकूद) के रूप में नियुक्त किया गया जो दर्शाता है कि बिना किसी वास्तविक आवश्यकता के उसे कंपनी में एडजस्ट किया गया था। और तो और, चूंकि कंपनी में सीनियर मैनेजर (खेलकूद) का केवल एक पद उपलब्ध था, जो 17 अगस्त 2010 तक पहले ही भरा हुआ था, उसे 1 अप्रैल 2008 से असिस्टेंट जनरल मैनेजर (खेलकूद) के उच्चतर पद के विरुद्ध एडजस्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि वह सीनियर मैनेजर (स्पोर्ट्स) के पद के लिए अपेक्षित सर्विस बाईलॉज के अनुसार तीन योग्यताओं में से दो को वह पूर्ण नहीं करते थे। अर्थात् वह न तो 35 वर्ष से कम आयु के थे और न ही एशियन गेम्स या सीनियर एशियन चैम्पियनशिप में मैडल विजेता थे और न ही अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में कम से कम दो बार भागीदार थे।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (अक्टूबर 2013) प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग और कंपनी के एम.डी. ने बताया कि नियुक्ति कंपनी में उपलब्ध वैकंसी के विरुद्ध की गई थी और पदधारी को उसकी पांच वर्ष की अवधि के समापन के बाद मूल विभाग को पहले ही वापस भेज दिया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि व्यक्ति योग्यता पूरी नहीं करता था तथा बालीबाल और टेनिस टीम के कार्यों की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया था जबकि वह बाक्सिंग कोच था।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (जुलाई 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

हरियाणा राज्य सङ्करण एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

3.8 राजस्व की हानि

कंपनी ने टेंडर दुबारा आमंत्रित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹ 3.52 करोड़ की हानि उठाई।

हरियाणा सरकार ने अधिसूचना (27 अगस्त 2010) के अंतर्गत देवधर-नैनावाली रोड (टी.पी.-33) को 1 नवंबर 2010 से 12 वर्ष की अवधि के लिए टोल रोड के रूप में घोषित कर दिया तथा हरियाणा राज्य सङ्करण एवं पुल विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को टोल प्वाइट

पर टोल फैसिलिटी के माध्यम से टोल की मांग करने, संग्रहण करने तथा प्रतिधारण हेतु प्राधिकृत किया।

देवधर – नैनावाली रोड पर टोल के संग्रहण के लिए कंपनी द्वारा टेंडर अगस्त 2010 तथा अक्टूबर 2010 में आमंत्रित किए गए थे। कंपनी को इन टेंडरों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। कंपनी ने पुनः टेंडर तीसरी बार (12 नवंबर 2010) आमंत्रित किए और जवाब में, तीन बोलियां प्राप्त हुईं। ₹ 6.04 करोड़ की उच्चतम बोली (ट्रैफिक गणना से 23.1 प्रतिशत अधिक और विभागीय संग्रहण से 58.59 प्रतिशत अधिक) मैसर्ज जयसिंह और कंपनी (बोलीकर्ता) से प्राप्त हुईं। प्रमुख अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर.) की अध्यक्षता में टेंडर एप्लूवल कमेटी (टी.ए.सी.) ने अपनी बैठक (23 नवंबर 2010) में यह अनुमान लगाते हुए, कि माइनिंग पर प्रतिबंध किसी भी दिन हटा लिया जाएगा और परिणामस्वरूप टोल संग्रहण उच्चतर होगा, बोली स्वीकार नहीं की। टी.ए.सी. ने चार मास की अवधि के लिए टेंडर फिर से आमंत्रित करने का निर्णय लिया। तब तक, टोल विभागीय तौर पर संगृहीत किया गया। अगस्त 2010 से मई 2012 के दौरान, टेंडर 11 बार आमंत्रित किए गए और छः अवसरों पर कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

नीचे तालिकाबद्ध अनुसार शेष पांच मामलों में टेंडर फाइनल नहीं किए जा सके:

तालिका 3.5

टेंडर ¹⁹ संख्या तथा तारीख	विवरण	टेंडरिंग का परिणाम
तीसरा टेंडर, 12 नवंबर 2010	तीन बोलियां प्राप्त की गईं। उच्चतम बोली ₹ 6.04 करोड़ प्रतिवर्ष की प्राप्त हुईं।	टी.ए.सी. ने (23 नवंबर 2010) माइनिंग पर प्रतिबंध हटने के बाद उच्चतर दरों का अनुमान लगाते हुए लघुतर अवधि के लिए टेंडर पुनः आमंत्रित करने का निर्णय किया।
चौथा टेंडर, 4 जनवरी 2011	टी.पी.- 33 और टी.पी.-12 के लिए बोलियां संयुक्त रूप से मांगी गईं। चार मास के लिए ₹ 2.82 करोड़ और ₹ 2.25 करोड़ की दो बोलियां प्राप्त की गईं जो दो टोल प्वाइंट के लिए संयुक्त ट्रैफिक गणना और संयुक्त विभागीय संग्रहण से कम थीं।	टी.ए.सी. ने (13 जनवरी 2011) टेंडर पुनः आमंत्रित करने का निर्णय किया।
सातवां टेंडर, 30 जून 2011	₹ 36 लाख की एकमात्र बोली 4 महीनों के लिए प्राप्त हुईं जो विभागीय संग्रहण से कम थी।	टी.ए.सी. ने (5 जुलाई 2011) टेंडर पुनः आमंत्रित करने का निर्णय लिया।
आठवां टेंडर, 17 अगस्त 2011	एकमात्र तकनीकी बोली प्राप्त हुई परंतु खोली नहीं गई।	टी.ए.सी. ने (18 अगस्त 2011) माइनिंग पर प्रतिबंध हटने के कारण उच्चतर दरों का अनुमान लगाते हुए टेंडर पुनः आमंत्रित करने का निर्णय लिया।
दसवां टेंडर, 8 नवंबर 2011	तीन बोलियां प्राप्त हुईं। ₹ 1.73 करोड़ की चार महीने की श्री वैभव की उच्चतम बोली स्वीकार की गई। ठेकेदार 'स्वीकृति-पत्र' के प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहा तथा ₹ 10 लाख की जमानत जब्त कर ली गई।	-

¹⁹

पहले टेंडर 19 अगस्त 2010, दूसरे टेंडर दिनांक 12 अक्टूबर 2010, पांचवें टेंडर दिनांक 22 फरवरी 2011, छठे टेंडर दिनांक 19 अप्रैल 2011, 9वें टेंडर दिनांक 30 सितंबर 2011 और 11वें टेंडर दिनांक 18 मई 2012 के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

इसी बीच, कार्यकारी अभियंता, मैकेनिकल डिवीजन, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.), अंबाला कैट ने बार-बार (अप्रैल - मई 2012) सूचित किया कि खानों और स्टोन क्रेशरों के बंद होने के कारण टोल संग्रहण दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। टोल कलेक्शन स्टाफ के वेतन पर किए व्यय तथा टोल संग्रहण पर किए गए अन्य खर्चों से भी कम था। कंपनी ने हानियों से बचने के लिए टोल संग्रहण प्वाइंट्स को अस्थाई तौर पर बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी (मई 2012)। राज्य सरकार ने 27 अगस्त 2010 की पूर्ववर्ती अधिसूचना वापस ले ली (20 दिसंबर 2012) और 24 दिसंबर 2012 से विभागीय टोल संग्रहण बंद कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2013) कि नवंबर 2010 के दौरान प्राप्त बोली कंपनी द्वारा केवल इस अवधारणा से स्वीकार नहीं गई कि मार्झिनिंग पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है जिससे सड़क पर अधिक ट्रैफिक होगा और परिणामतः टोल संग्रहण में वृद्धि होगी। सिर्फ अवधारणा पर आधारित टी.ए.सी. की यह कार्यवाही अविवेकपूर्ण थी क्योंकि प्रस्ताव ट्रैफिक गणना तथा विभागीय संग्रहणों से काफी अधिक था। टी.ए.सी. के इस अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण, कंपनी ने जनवरी 2011 से दिसंबर 2011 की अवधि के लिए मैसर्ज जयसिंह और कंपनी द्वारा प्रस्तावित ₹ 6.04 करोड़ की बोली राशि के विरुद्ध केवल ₹ 2.52 करोड़ का (वेतन तथा अन्य खर्च काट कर) निवल टोल संग्रहण किया, इस प्रकार कंपनी को ₹ 3.52 करोड़ की हानि हुई।

एगिट काफेस के दौरान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर) विभाग तथा प्रमुख अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर) ने बताया (अक्टूबर 2013) कि भविष्य में मार्झिनिंग पर प्रतिबंध हटने की आशा में बोलियां स्वीकार नहीं की गई। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि प्राप्त दर ट्रैफिक गणना से 23.1 प्रतिशत अधिक और विभागीय संग्रहण से 58.59 प्रतिशत अधिक था। इसके अतिरिक्त, बोली दस्तावेजों के अनुसार, बोलीकर्ता को लिखित में 15 दिन पहले नोटिस देने के बाद बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समझौता रद्द करने का कंपनी के पास अधिकार था और बोलीकर्ता इस प्रकार के समय पूर्व समापन के लिए कंपनी से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के दावे, वसूली और प्राप्ति के लिए हकदार नहीं था।

इस प्रकार, बोलियां स्वीकार न करने के कंपनी के अविवेकपूर्ण निर्णय (23 नवंबर 2010) के परिणामस्वरूप ₹ 3.52 करोड़ की हानि हुई।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (जनवरी 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड

3.9 राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की नोडल एजेंसी के लिए हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड

तुरंत आवश्यकता निर्धारित किए बिना साफ्टवेयर/सैप लाईसेंस की खरीद पर ₹ 93.79 लाख का व्यय किया गया। कंपनी ने 2008-13 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों से ₹ 111.53 करोड़ की निधियों के विरुद्ध ₹ 29.86 करोड़ का उपयोग किया। कंपनी ने चुनाव विभाग के लिए इलैक्टोरेट फोटो पहचान-पत्रों की अधिक इनवायरिंग के कारण ₹ 57.24 लाख का अधिक आयकर और ₹ 6.99 लाख के केंद्रीय बिक्रीकर का भुगतान किया।

हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) राज्य में इलैक्ट्रोनिक्स विकास को प्रोमोट करने के लिए 15 मई 1982 को स्थापित की गई थी। कंपनी इलैक्ट्रोनिक्स से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं/कार्य करने के लिए राज्य के सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करने में भी लिप्त थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी हारट्रोन फरेंचाईज सेंटर (एच.एफ.सी.जे.) के नाम से ज्ञात फरेंचाईजीज के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान कर रही थी।

विद्युत वितरण कंपनियों के लिए कम्प्यूटरीकृत बिजली बिलों का सृजन

i. कंपनी ने यू.एच.बी.वी.एन.एल. के (10 में से) चार सर्कलों तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के सभी छः सर्कलों हेतु तीन वर्षों के लिए बिजली बिल के सृजन के लिए डाटा एंट्री सहित ₹ 2.44 की दर पर तथा बिना डाटा एंट्री के ₹ 2 प्रति बिल की दर पर कम्प्यूटराइज्ड बिजली बिलों के सृजन हेतु कार्य आदेश प्राप्त किए (2007)। मौजूदा दरों पर ही तीन वर्षों की अन्य अवधि के लिए 2010 में डिस्कोमज द्वारा कार्य आदेश नवीनीकृत किए गए।

कंपनी बिजली बिलों के सृजन के लिए साफ्टवेयर एप्लीकेशन के रूप में विजुअल फोकसप्रो प्लेटफार्म का प्रयोग कर रही थी। यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने कंपनी को वर्तमान कोबोल/फोकसप्रो प्लेटफार्म से किसी स्टैंडर्ड आर.डी.बी.एम.एस. पर आधारित साफ्टवेयर में शिफ्ट करने का अनुरोध किया (नवंबर 2008)। कंपनी ने सूचित किया (दिसंबर 2009) कि वह वर्तमान प्लेटफार्म पर ₹ 3.24 प्रति बिल और प्रस्तावित ऑनलाइन सैटअप पर ₹ 6.96 प्रति बिल चार्ज करेगी जो अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक वैध होगा। यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने कंपनी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया (फरवरी 2010) परंतु बाद में निर्णय वापस ले लिया (जून 2010) और कंपनी को पुराने विद्यमान प्लेटफार्म पर ही बिल सृजन का कार्य जारी रखने के लिए कहा।

कंपनी ने फिर भी बिलिंग साफ्टवेयर को अपग्रेड करने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2010) और ₹ 48.70 लाख के लिए भैसर्ज वी एक्सेल साफ्टवेयर को आदेश जारी किया (दिसंबर 2010)। कंपनी ने ₹ 27.71 लाख की लागत पर परिवर्तन के कार्यान्वयन के लिए हार्डवेयर और साफ्टवेयर भी खरीद लिया तथा नए साफ्टवेयर के माध्यम से अगस्त 2012 से बिल सृजित करने आरंभ कर दिए।

हमने देखा कि कंपनी ने अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक तीन वर्षों के लिए ₹ 3.25 प्रति बिल की दर पर (वह दर जो कि दिसंबर 2009 में प्रस्तावित की गई थी), अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि के लिए विद्यमान, फोकसप्रो पर बिजली बिल तैयार करने के लिए यू.एच.बी.वी.एन.एल. से कार्य-आदेश का एक्सटेंशन प्राप्त किया था। इस प्रकार, कंपनी द्वारा इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन में खर्च किए व्यय का यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने कोई संज्ञान नहीं लिया था परिणामतः ₹ 76.41 लाख (₹ 48.70 लाख और ₹ 27.71 लाख) का अनावश्यक व्यय हुआ।

प्रबंधन ने एग्जिट काफ्रेंस (अक्तूबर 2013) में स्पष्ट किया कि बदलती टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए यह प्रक्रिया आर.डी.बी.एम.एस. में शिफ्ट की गई थी। तथ्य, तथापि, रहता है कि आर.डी.बी.एम.एस. में शिफ्टिंग यू.एच.बी.वी.एन.एल. की किसी आवश्यकता के बिना किया गया था और कंपनी ने इस अपग्रेडेशन लागत, जिसके लिए यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा प्रस्ताव वापस लिया था, के लिए पेबैक अवधि का विश्लेषण भी नहीं किया था।

विभिन्न विभागों/पी.एस.यू.ज के कम्प्यूटरार्जेशन/इलैक्ट्रॉनिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना

ii कंपनी, राज्य के सरकारी विभागों के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी/इलैक्ट्रॉनिक परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है और परियोजना मूल्य के छः प्रतिशत की दर पर परामर्श फीस लेती है। हमने देखा कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान कंपनी के पास सरकारी विभागों से उनकी परियोजनाओं के लिए ₹ 111.53 करोड़ की निधियां थीं और इसने ₹ 29.86 करोड़ प्रयुक्त किए थे। इसके पास तथापि, शीर्ष प्रबंधन को अथवा इंडैटिंग विभागों को सूचित करने हेतु परियोजनाओं की समग्र रूप में प्रगति की आवधिक समीक्षा करने/रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

इंडैटिंग विभागों ने भी कंपनी से कार्य के संबंध में कोई प्रगति रिपोर्ट नहीं मांगी। राज्य सरकार ने दो सप्ताह की ब्याज मुक्त अवधि प्रदान करने के बाद इंडैटिंग विभागों से प्राप्त अग्रिम धन के प्रयुक्त होने तक इस पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए थे (मार्च 2011)। निर्देशों के बावजूद कंपनी ने 2011-13 की अवधि के लिए ₹ 7.98 करोड़ की राशि (छः प्रतिशत की न्यूनतम दर पर परिणित) का ब्याज हस्तान्तरित नहीं किया था।

एगिट कॉफेंस (अक्टूबर 2013) में, लेखापरीक्षा प्लाइंट को स्वीकार करते हुए एम.डी. ने कहा कि सुधारक कार्वाई की जाएगी तथा ब्याज का भुगतान भविष्य में कर दिया जाएगा। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग ने व्याव्या दी कि कंपनी एक प्रणाली अपनाने जा रही है जहां इंडैटिंग विभागों से विस्तृत प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद, 30 दिनों से अधिक की अवधि होने पर उस पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है।

ई.पी.आई.सी. और इलैक्ट्रोल रोलज

iii. कंपनी 1994 से राज्य चुनाव आयोग के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्रों (ई.पी.आई.सी.ज) व इलैक्ट्रोल रोलज को तैयार करने और अन्य संबंधित कार्यों में लगी हुई है। कंपनी ने इस कार्य को करने के कोई मार्गनिर्देश/प्रक्रियाएं नहीं बनाई थीं और प्राप्त राशियों का बिल की गई राशियों के साथ आवधिक रूप से मिलान नहीं किया था। पुनः क्षतिग्रस्त कार्डों, जिनके लिए कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया जाता और जिनके बिल लेखा पुस्तिकाओं में रिवर्स किए जाते हैं, इसको मानीटर करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। परिणामतः आय अधिक बताई जाती है और कंपनी इस पर केंद्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) के अतिरिक्त आयकर का भी भुगतान कर रही है।

हमने देखा कि कंपनी ने राज्य चुनाव आयोग को 2007-08 के दौरान 4.35 लाख इलैक्ट्रोल रोलज के लिए ₹ 1.36 करोड़ (₹ 5.22 लाख के सी.एस.टी.सहित) के बिल दो बार प्रस्तुत किए। 2007-08 से 2011-12 के दौरान बिल किए गए परन्तु सत्यापन के दौरान चुनाव विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त पाए गए 1.52 लाख ई.पी.आई.सी.ज के लिए कंपनी ने ₹ 18.06 लाख की बिल की गई राशि (₹ 0.71 लाख की सी.एस.टी. सहित) रिवर्स नहीं की थी। पुनः चुनाव विभाग से ई.पी.आई.सी.ज की दरों के निम्नतर संशोधन के बारे में सूचना प्राप्त करने (11 मई 2011) के बावजूद, कंपनी ने 2010-12 के दौरान ₹ 22.27 लाख (₹ 1.06 लाख के सी.एस.टी. सहित) के लिए समायोजन प्रविष्टियां पास नहीं की थी। परिणामस्वरूप गत पांच वर्षों के दौरान कंपनी

को अतिरिक्त आयकर (₹ 57.24 लाख)²⁰ और सी.एस.टी. (₹ 6.99 लाख) का भुगतान करना पड़ा था।

एगिट काफ्रेंस (अक्टूबर 2013) में, लेखापरीक्षा के विचार बिंदु से सहमत होते हुए एम.डी. ने बताया कि वे इस राशि की वसूली करेंगे और एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे कि यह दुबारा न हो। लेकिन तथ्य रहता है कि कंपनी ने अभी तक इस राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी (दिसंबर 2014)। पुनः इन मामलों में ‘एसेसमेंट ईयर’ 2012-13 से पहले के थे और आयकर अधिनियम के प्रावधान, संबंधित ‘एसेसमेंट ईयर’ की समाप्ति के बाद संशोधित रिटर्नस फाइल करने की अनुमति नहीं देते।

विक्रेता को अनुचित लाभ

iv. कंपनी, एच.एफ.सीज के माध्यम से कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रही थी। एच.एफ.सीज द्वारा कंपनी के मार्गदर्शन और निर्देशों के अंतर्गत ट्रेनिंग कोर्सों को चलाया जाना था, तथापि, एच.एफ.सीज को स्थापित करने एवं चलाने के लिए सभी निवेश - हार्डवेयर और साफ्टवेयर आदि पर उनके द्वारा किया जाना था तथा नाम का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा रायलटी का भुगतान करना था। कंपनी से कोर्सवेयर, पुस्तकें तथा अन्य सामग्री, फोरमैट इत्यादि प्राप्त करने के लिए सामग्री की लागत के 25 प्रतिशत के साथ कम से कम 15 दिन पूर्व उनके द्वारा ईंडिंट दिए जाने थे और शेष राशि आदेश दिए गए सामान की डिलीवरी लेने के समय देय थी।

हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कंपनी के पास 78 एच.एफ.सीज थे (2011-12)। इसको, मैसर्ज वी. एक्सेल एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड (विक्रेता) से एच.एफ.सीज में सैप²¹ के ट्रेनिंग कोर्सों प्रारंभ करने के लिए टाई-अप करने का प्रस्ताव मिला (4 फरवरी 2011) और इसने एच.एफ.सीज की ओर से सैप के लाइसेंस प्राप्त करने का निर्णय लिया तथा ₹ 8,500 प्लस टैक्स प्रति लाइसेंस की दर पर सैप के 500 लाइसेंसों की आपूर्ति के लिए विक्रेता के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए (5 अप्रैल 2011)। एम.ओ.यू. में भुगतान की शर्तों का निर्णय नहीं किया गया था। एच.एफ.सीज पर सैप के ट्रेनिंग कोर्स आरंभ करने का निर्णय किसी सर्वेक्षण या फरैचाईजीज से किसी मांग के बिना लिया गया था।

विक्रेता ने सैप के 200 लाइसेंसों के लिए ₹ 18.75 लाख (10.3 प्रतिशत की दर पर सर्विस टैक्स सहित) का एक बिल भेजा (28 अप्रैल 2011)। कंपनी ने ₹ 9.38 लाख (50 प्रतिशत) का भुगतान किया (19 मई 2011) और एच.एफ.सीज को सैप में ट्रेनिंग कोर्स चलाने और सैप लाइसेंसों के संग्रहण के लिए कहा तथा विक्रेता के साथ टाई-अप के लिए एक बार चार्ज के रूप में पार्ट पेमेंट के प्रति ₹ 0.25 लाख भेजने को कहा (1 जून 2011)। तथापि, चूंकि ट्रेनिंग कोर्स मांग से प्रेरित नहीं था, एच.एफ.सीज से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। विक्रेता ने कंपनी को 200 सैप लाइसेंस आपूर्ति कर दिए (फरवरी 2012) तथा कंपनी ने ₹ आठ लाख जारी कर दिए (24 फरवरी 2012)। कंपनी ने दुबारा एच.एफ.सीज को सैप लाइसेंस एकत्र करने और विक्रेता के साथ टाई-अप करने के लिए आंशिक भुगतान के रूप में ₹ 0.25 लाख जमा करवाने को कहा (मार्च 2013), जिस पर 71 एच.एफ.सीज ने सूचित किया कि वे सैप लाइसेंस खरीदने के इच्छुक नहीं हैं।

²⁰ 2007-12 के दौरान ₹ 1.69 करोड़ (₹ 1.31 करोड़ + ₹ 17.35 लाख + ₹ 21.21 लाख) की गलत बुक की गई आय पर सरचार्ज और उपकर के साथ आयकर।

²¹ सैप व्यापार संसाधन आयोजना के लिए प्रयुक्त एक साफ्टवेयर है।

हमने देखा (अप्रैल 2013) कि कंपनी ने, मांग का आकलन तथा एच.एफ.सीज से इंडिंट / अग्रिम धन की प्राप्ति किए बिना ही विक्रेता के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया था। पुनः, औपचारिक क्रय आदेश दिए बिना और भुगतान की शर्ते अंतिम किए बिना कंपनी ने भुगतान जारी कर दिया था। कंपनी खरीदे हुए 200 सैप लाईंसेंस में से अभी तक किसी का भी प्रयोग करने/निपटान करने में समर्थ नहीं हुई थी (जुलाई 2013) जिससे ₹ 17.38 लाख की निधियों का अवरोधन हुआ।

एगिट काफ़ेंस के दौरान (अक्टूबर 2013), एम.डी. ने सूचित किया कि विक्रेता धन वापस करने के लिए सहमत हो गया था। लेकिन यह तथ्यात्मक है कि विक्रेता ने अब तक कोई राशि नहीं दी थी (दिसंबर 2014)।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संर्भित किए गए थे (अगस्त 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

3.10 वित्तीय सहायता में अनियमितताएँ

चार नमूना-जांच किए गए जिला कार्यालयों में ₹ 4.58 करोड़ (95 मामले) के संस्थीकृत ऋण के विरुद्ध, ₹ 1.24 करोड़ मूल्य के वाहन (26 मामले) वाणिज्यिक वाहनों के रूप में पंजीकृत किए गए। ₹ 73.52 करोड़ की वसूलनीय राशि के विरुद्ध, मार्च 2013 तक ₹ 69.12 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई। अप्रैल 2008 से मार्च 2013 तक मुख्य कार्यालय/जिला कार्यालयों की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

हरियाणा हरिजन कल्याण निगम लिमिटेड 1971 में स्थापित किया गया और 2000 में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) के रूप में पुनः नामकृत किया गया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के लिए ऋण तथा सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य में अनुसूचित जाति परिवारों का सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान करना था।

कंपनी व्यापार के लागत के 90 प्रतिशत की वित्तीय सहायता एवं सबसिडी (₹ 10,000 की अधिकतम सीमा तक, व्यापार लागत का 50 प्रतिशत) प्रदान करती है और नेशनल शैड्यूल्ड कास्ट फाईनेंस डिवलपमैंट कारपोरेशन (एन.एस.एफ.डी.सी.) स्कीम के अंतर्गत मार्जिन धन के रूप में अपना हिस्सा देती है जैसे हल्के वाणिज्यिक वाहन की खरीद, टैंट हाउस, बूटिक यूनिट की स्थापना इत्यादि। बैंक टाई-अप स्कीम के अंतर्गत कंपनी विभिन्न गतिविधियों जैसे डेरी फार्मिंग, शीप रियरिंग, पिगरी, किराना शाप इत्यादि के लिए अनुसूचित जाति परिवारों को परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर पर मार्जिन धन और अधिकतम ₹ 10,000 की सीमा तक, 50 प्रतिशत की दर पर सबसिडी प्रदान करती है।

संस्थीकृति, संवितरण, उपयोगिता और लाभग्राहियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की वसूली से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की सीमा सुनिश्चित करने हेतु, अप्रैल 2007 से मार्च 2012 की अवधि को कवर करते हुए, लेखापरीक्षा ने मुख्यालय और 21 में से पांच जिला कार्यालयों में कंपनी के रिकार्ड्ज की नमूना-जांच की। पांच²² चयनित जिलों में

²² अंबाला, भिवानी ज़ींद, करनाल और सिरसा।

कंपनी 20,005 लाभग्राहियों (संवितरित राशि ₹ 86.44 करोड़) तक पहुंची जिनमें से 594 लाभग्राही (संवितरित राशि ₹ 3.54 करोड़) लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किए गए।

वाहन स्कीम

i. अनुसूचित जाति लाभग्राहियों को सेल्फ इंप्लायड बनाने हेतु 2007-08 से 2011-12 के दौरान वाहन स्कीम के अंतर्गत 155 लाभग्राहियों के लिए कंपनी ने ₹ 7.73 करोड़ संस्वीकृत किए। नमूना - जांच किए गए चार²³ जिला कार्यालयों में कंपनी ने 95 लाभग्राहियों को हल्के वाणिज्यिक वाहनों (10 सीटर जीप) को खरीदने के लिए ₹ 4.65 लाख प्रति यूनिट की दर से पांच वर्षों में वसूलनीय, छ: प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ₹ 4.58 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए।

वाहन स्कीम के सही कार्यान्वयन के लिए कंपनी को यह सुनिश्चित करना था कि वाहनों को कमर्शियल वाहनों के रूप में पंजीकृत किया गया था ताकि लाभग्राही अपना व्यापार चला सकें और आजीविका कमा सकें। इन 95 वाहनों में से केवल ₹ 1.24 करोड़ (27 प्रतिशत) मूल्य के 26 वाहन कमर्शियल वाहनों के रूप में पंजीकृत पाए गए। 35 मामलों में वाहनों के पंजीकरण का प्रमाण और सात मामलों में वाहनों के बीमा विवरण रिकार्ड में नहीं थे। लाभग्राहियों, जिन्होंने ऋणों की संस्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किया, के विरुद्ध कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

एगिट काफ्रेंस (सितंबर 2013) के दौरान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बताया कि स्कीम वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं थी और यह ऋणों के अनियमित जारी करने और निहित कमियों के कारण विफल रही।

बुटीक स्कीम

ii. स्कीम में छ: प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर पांच वर्षों की अवधि में वसूलनीय ऋण तथा सबसिडी के रूप में ₹ एक लाख (₹ 85,000 सावधि ऋण, ₹ 5,000 मार्जिन धन तथा ₹ 10,000 सबसिडी) की सहायता विचारित थी। 2007-08 से 2011-12 के मध्य, कंपनी ने 73 लाभग्राहियों को ₹ 73 लाख संस्वीकृत किए। ऋण जारी करने से पहले डी.एम. को सुनिश्चित करना था कि लाभग्राही द्वारा दुकान चिन्हित कर ली गई थी तथा किराए की दुकान के मामले में एक उपयुक्त रेंट डीड विद्यमान थी।

जींद और भिवानी जिलों में यह सुनिश्चित किए बिना कि व्यापार के लिए व्यवहार्य वातावरण विद्यमान था, कंपनी ने 33 लाभग्राहियों को ₹ 30.60 लाख की राशि के ऋण संवितरित किए। 30 लाभग्राहियों के विरुद्ध ₹ 38.20 लाख (ब्याज सहित) की वसूलनीय राशि के विरुद्ध ₹ 35.49 लाख बकाया देय छोड़ते हुए केवल ₹ 2.71 लाख तक की वसूली की गई (मार्च 2014)। 15 लाभग्राहियों ने एक भी किश्त नहीं चुकाई थी (बकाया राशि ₹ 20.24 लाख)। इसने संकेत किया कि कंपनी की वसूली पद्धति निष्प्रभावी थी, जिसने कंपनी की निधियों को रिसाईकिल करने और स्कीम के अंतर्गत एस.सी. समुदाय के अधिक सदस्यों को लाने की क्षमता को प्रभावित किया।

²³ अंबाला, भिवानी, जींद और करनाल।

एगिट काफ्रेंस (सितंबर 2013) के दौरान प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बताया कि स्कीम वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं थी तथा यह ऋणों के अनियमित जारी करने और निहित कमियों के कारण विफल रही।

टैट हाउस स्कीम

iii. स्कीम में स्वरोजगार के लिए टैट हाउस इकाईयां स्थापित करने हेतु पांच वर्षों में पुनर्भुगतान योग्य, छ: प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण तथा सबसिडी के माध्यम से ₹ तीन लाख (स्थाई परिसंपत्ति: ₹ 2.79 लाख, कार्यचालन पूंजी/प्रारंभिक व्यय: ₹ 21,000) की सहायता विचारित है। 2007-08 और 2011-12 के मध्य कंपनी ने भिवानी, जींद और करनाल के जिला कार्यालयों में, टैट हाउस स्कीम के अंतर्गत 63 लाभग्राहियों को ₹ 188.98 लाख संस्थीकृत किए और दिसंबर 2009 से जून 2010 के दौरान 25 लाभग्राहियों को ₹ 71.65 लाख के ऋण संवितरित किए। 31.03.2014 को ₹ 56.71 लाख की राशि बकाया छोड़ते हुए कंपनी इन 25 लाभग्राहियों से ₹ 71.65 लाख में से ₹ 14.94 लाख ही वसूल कर सकी।

एगिट काफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बताया कि स्कीम वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं थी तथा यह ऋणों के अनियमित जारी करने तथा निहित कमियों के कारण विफल हो गई।

वित्तीय सहायता/सबसिडी को अनियमित जारी करना

iv. सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.), अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ, उनके व्यवसायिक पैटर्न तथा उनके सीमित संसाधनों से आय बढ़ाने की आवश्यकता के संदर्भ में, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के संयोजी के रूप में, स्पैशल सैट्रूल एसिस्टेंस (एस.सी.ए.) कार्यक्रम के अंतर्गत सबसिडी प्रदान करता है। जी.ओ.आई. के निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति से संबंधित केवल उन व्यक्तियों को एस.सी.ए. प्रदान की जानी थी जो गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) थे। पंचकुला जिले में 2007-08 से 2011-12 के दौरान 70 लाभग्राहियों, जिनके नाम बी.पी.एल. सर्वेक्षण सूची में नहीं थे, को ₹ 6.58 लाख की सबसिडी जारी करने के मामले देखे गए।

एगिट काफ्रेंस के दौरान, यह बताया गया कि सबसिडी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके नाम बी.पी.एल. सूची में शामिल हैं। अपात्र व्यक्तियों को सबसिडी जारी किए जाने की कंपनी द्वारा जांच की आवश्यकता है।

बैंक टाई-अप स्कीम-परिसंपत्तियों का असूजन तथा सहायता की वसूली

v. बैंक टाई-अप स्कीम के अंतर्गत लाभग्राही सर्वेक्षण के दौरान, हमने देखा कि लेखापरीक्षा द्वारा संपर्क किए गए 514 लाभग्राहियों में से 395 लाभग्राहियों (77 प्रतिशत) की स्थाई परिसंपत्तियां विद्यमान नहीं थीं। 16 मामलों में, पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त न होने के कारण परिसंपत्तियां सृजित नहीं की गई थीं। 98 लाभग्राही ऋण तथा सबसिडी की पूर्ण राशि ₹ 19.15 लाख प्राप्त नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप वे व्यवहार्य इकाईयां स्थापित नहीं कर सके। इस प्रकार परिसंपत्तियों के सूजन तथा लाभग्राहियों के उत्थान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का इच्छित प्रयोजन विफल हो गया।

एगिट काफ़ेंस के दौरान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बताया कि कंपनी परिसंपत्तियों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए सही जांचबिंदु (संस्कीर्ति पूर्व और संवितरण पश्चात) सुनिश्चित करेगी।

वसूली निष्पादन

vi. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) स्कीमों के अंतर्गत ऋण पांच वर्षों की अवधि में बराबर मासिक किश्तों में वसूलनीय था। दोनों ही स्कीमज में किसी चूक के मामले में, पैनल ब्याज के साथ समग्र राशि भू-राजस्व के बकायों के रूप में एकमुश्त में वसूलनीय बन जाती है और डी.एमज ऋणों की वसूली के लिए उत्तरदायी थे। निम्न तालिका ने 2008 - 09 से 2012 - 13 के दौरान कंपनी का वसूली निष्पादन इंगित किया:

तालिका 3.6

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आप्रेशनल लेखाओं की कुल संख्या	कुल वसूलनीय राशि	वसूल की गई राशि	वर्ष की समाप्ति पर शेष देय राशि	वसूलनीय राशि से वसूली की प्रतिशतता
2008-09	1,10,019	32.43	2.82	29.61	8.69
2009-10	1,14,401	35.29	3.98	31.31	11.28
2010-11	1,18,020	37.57	4.28	33.29	11.39
2011-12	1,19,863	40.40	4.86	35.54	12.03
2012-13	1,20,787	73.52	4.40	69.12	5.98

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि कंपनी का वसूली निष्पादन 2008 - 09 से 2012 - 13 के दौरान केवल 6 से 12 प्रतिशत के बीच रहा था। कम वसूली प्रतिशतता ने दर्शाया कि कंपनी के देयों को वसूल करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की गई थी तथा बकायों को 2008 - 13 के दौरान 133.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 29.61 करोड़ से ₹ 69.12 करोड़ तक बढ़ने दिया गया। कंपनी ने यद्यपि 7.40 लाख मामलों में वसूली नोटिस जारी किए थे किंतु केवल 1,470 मामले ही वसूली के लिए कलैक्टर को भेजे गए थे। इसके फलस्वरूप कंपनी निधियों को रिसाईकल करने में विफल रही जिसने आगे, लाभग्राहियों की व्यापक कवरेज को प्रभावित किया।

एगिट काफ़ेंस के दौरान यह बताया गया कि कम वसूली, ऋणों की वसूली की मानीटरिंग न करने तथा स्टाफ की कमी के कारण थी। वसूली सुनिश्चित करने के लिए कंपनी को गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा

राज्य सरकार ने सभी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंगज (पी.एस.यू.ज.) में यूनिफार्म आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की शुरूआत के निर्देश जारी किए (मई 1981)। 2002 में राज्य सरकार ने आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए मार्गनिर्देश बनाए तथा परिचालित किए। निर्देशों के अनुसार, पी.एस.यू.ज. की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य, जहां पर आंतरिक लेखापरीक्षा सैल नहीं थे, कार्य के क्षेत्र को स्पष्ट स्पष्ट से परिभाषित करते हुए चाटर्ड अकाउटेन्ट की एक फर्म को सौंपा जाना था तथा उनकी रिपोर्टेस बी.ओ.डी.ज के सामने रखी जानी थी।

हमने देखा कि कंपनी के पास कोई स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा सैल नहीं था। लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर की गई अवधि अर्थात् अप्रैल 2008 से मार्च 2013 के दौरान मुख्यालय के साथ - साथ जिला कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इस प्रकार, कंपनी राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रही।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, तथ्यों को स्वीकारते हुए प्रबंधन ने बताया कि मानव शक्ति की कमी के कारण आंतरिक लेरवापरीक्षा करना या लेरवापरीक्षा सैल स्थापित करना मुश्किल था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कपनी के सही कार्यचालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेरवापरीक्षा सैल होना अनिवार्य है।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को संदर्भित किए गए थे (अगस्त 2013) किंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)।

चण्डीगढ़

दिनांक:

(महुआ पाल)
प्रधान महालेरवाकार (लेरवापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक:

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक - महालेरवापरीक्षक